



सूचना

नगर निगम, रोहतक को दिनांक 25.08.2017 तक शौच मुक्त किया जाया है, जिसके लिए नगर निगम, रोहतक द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न करें, इसके लिए व्यक्तिगत शौचालयों के लिए धन राशि भी जारी की जा चुकी है। खुले में शौच के लिए जनता के प्रतिनिधि व आम जनता के सहयोग के बिना रोहतक को शौच मुक्त नहीं किया जा सकता। नगर निगम, रोहतक अपील करता है कि:-

1. आपके आस-पास के क्षेत्र में यदि कोई शौच करता है तो उसको रोको। यदि वह नहीं मानता है तो उसकी शिकायत नगर निगम, रोहतक कार्यालय में दें ताकि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।
2. सभी विद्यालयों में विद्यार्थी शौचालय का प्रयोग करें तथा सभी विद्यार्थी अपने आस-पास के एरिया में लोगों को शौचालयों के प्रयोग के लिए प्रेरित करें।
3. सभी औद्योगिक इकाईयों में रहने वाली लेबर व झुग्गी झोपड़ी वाले व्यक्ति शौचालय का प्रयोग करें यदि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता पाया गया तो उनको जुर्माना लगाया जायेगा व जिस भी फैक्टरी का कर्मचारी पाया गया उसके मालिक के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन खाली प्लॉट धारक जिन्होंने झुग्गी-झोपड़ी वाले अपने प्लॉटों में बैठा रखे हैं व अपने प्लॉटों में दिनांक 15.08.2017 तक शौचालयों को निर्माण करवायें अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अम्ल में लाई जायेगी।

सभी रोहतक वासियों से नगर निगम, रोहतक अपील करता है कि:-

- i. रोहतक शहर को खुले में शौच मुक्त करने के लिए नगर निगम, रोहतक का सहयोग करें।
- ii. सभी अपने-अपने घरों व व्यापारिक संस्थानों में दो-दो डस्टबीन तथा अपना गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग एकत्रित करें और जब नगर निगम, रोहतक की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आपके क्षेत्र में पहुंचे तो उसमें गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग कैबिन में ही डालें।
- iii. पशुओं को डाले जाने वाला चारा गौशाला में ही दें क्योंकि सड़कों पर चारा डालने से आवारा पशुओं की बढ़ोतरी होती है व दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ती है।

हस्ता/-

आयुक्त,

नगर निगम, रोहतक।

पीआरडीएच- 1078/11/5417/1718/53981 दिनांक 11/08/2017



सूचना

नगर निगम, रोहतक को दिनांक 25.08.2017 तक शौच मुक्त किया जाना है, जिसके लिए नगर निगम, रोहतक द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न करे, इसके लिए व्यक्तिगत शौचालयों के लिए धन राशि भी जारी की जा चुकी है। खुले में शौच के लिए जनता के प्रतिनिधि व आम जनता के सहयोग के बिना रोहतक को शौच मुक्त नहीं किया जा सकता। नगर निगम, रोहतक अपील करता है कि:-

1. आपके आस-पास के क्षेत्र में यदि कोई शौच करता है तो उसको रोको। यदि वह नहीं मानता है तो उसकी शिकायत नगर निगम, रोहतक कार्यालय में दें ताकि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।
2. सभी विद्यालयों में विद्यार्थी शौचालय का प्रयोग करें तथा सभी विद्यार्थी अपने आस-पास के एरिया में लोगों को शौचालय के प्रयोग के लिए प्रेरित करें।
3. सभी औद्योगिक इकाईयों में रहने वाली लेबर व झुग्गी झोपड़ी वाले व्यक्ति शौचालय का प्रयोग करें यदि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता पाया गया तो उनको जुर्माना लगाया जायेगा व जिस भी फैक्टरी का कर्मचारी पाया गया उसके मालिक के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन खाड़ी प्लाट धारक जिन्होंने झुग्गी-झोपड़ी वाले अपने प्लाटों में डेरा रखे हैं वे अपने प्लाटों में दिनांक 15.08.2017 तक शौचालयों का निर्माण करवाये अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अगल में लाई जायेगी।

सभी रोहतक वासियों से नगर निगम, रोहतक अपील करता है कि:-

- i. रोहतक शहर को खुले में शौच मुक्त करने के लिए नगर निगम, रोहतक का सहयोग करें।
- ii. सभी अपने-अपने घरों व व्यापारिक संस्थानों में दो-दो इस्ट्रीन रखें तथा अपना गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग एकत्रित करें और जब नगर निगम, रोहतक की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आपके क्षेत्र में पहुंचे तो उसमें गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग कोयल में ही डालें।
- iii. पशुओं को डाले जाने वाला चारा गीशाला में ही दें क्योंकि सड़को पर चारा डालने से आबारा पशुओं की बढ़ोतरी होती है व दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ती है।



नगर निगम रोहतक सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, रोहतक को दिनांक 10.09.2017 को खुले में शौच मुक्त कर रहा है, जिसके लिए नगर निगम रोहतक द्वारा पहले भी दिनांक 13.08.2017 को समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया था, परन्तु नगर निगम कार्यालय में अभी तक कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिसका तात्पर्य यह है कि नगर निगम, रोहतक में स्थित सभी वार्डों (1 से 20) में खुले में शौच न जाये। यदि इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो संबंधित व्यक्ति पर नगर निगम, रोहतक द्वारा प्रथम बार पकड़े जाने पर 100 रूपये व दोबारा पकड़े जाने पर 500 रूपये प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक बार जुर्माना किया जायेगा। यदि आपको इस बारे किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव है तो उसको नगर निगम, रोहतक के साथ साझा करें (लिखित में जरूर देंगे) व नगर निगम, रोहतक कार्यालय के फोन नं० 8295900945 पर दर्ज करवाये।

आयुक्त, नगर निगम, रोहतक

Sponsored

odies In The World

सुष्मिता देव महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनीं

नई दिल्ली | कांग्रेस ने सांसद सुष्मिता देव को महिला कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया। उन्हें शोभा ओझा की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिवंगत केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव की बेटी सुष्मिता देव सिल्वर लोकसभा सीट से सांसद हैं।

एयरलाइंस यूनिक आईडी से करेंगी प्रतिबंधित मुसाफिरों की पहचान

अनूप कुमार मिश्र | नई दिल्ली

उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को देश में पहली बार नो फ्लाई लिस्ट जारी की थी। अब मंत्रालय ने बदसलूकी के आरोप में प्रतिबंधित यात्रियों की हेराफेरी से बचने और एक ही नाम के अन्य यात्रियों को प्रतिबंध से बचाने के लिए रास्ता तलाश लिया है। मंत्रालय सभी यात्रियों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करेगा। यह हर यात्री को टिकट बुक कराने के दौरान मुहैया कराया होगा। मंत्रालय के वरिष्ठ

अधिकारी के अनुसार यूनिक आईडी के प्रारूप पर विभिन्न स्टेक होल्डर से चर्चा हो रही है। इसके लागू होने के बाद यात्रियों को टिकट बुक करते समय अपने बारे में कुछ जानकारियां एयरलाइंस को उपलब्ध करानी होंगी। जिसमें नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, ई-मेल, स्थाई पता, पत्राचार का पता, मोबाइल नंबर आदि शामिल होंगी। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट में से किसी एक आईडी का नंबर भी दर्ज करना होगा।

विज्ञापन
सुष्मिता देव महिला कांग्रेस
 नई दिल्ली
 सुष्मिता देव महिला कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया। उन्हें शोभा ओझा की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिवंगत केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव की बेटी सुष्मिता देव सिल्वर लोकसभा सीट से सांसद हैं।

नगर निगम, रोहतक सूचना

जन साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, रोहतक को दिनांक 10.09.2017 को खुले में शौच मुक्त कर रहा है, इसके लिए नगर निगम, रोहतक द्वारा पहले भी दिनांक 13.8.2017 को समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया था, परंतु नगर निगम कार्यालय में अभी तक कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिसका तात्पर्य है कि नगर निगम, रोहतक में स्थित सभी चाटों (1 से 20) में खुले में शौच न जाए। यदि इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो संबंधित व्यक्ति पर नगर निगम, रोहतक द्वारा प्रथम बार फकड़े जाने पर 100 रुपये व दोबारा फकड़े जाने पर 500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक बार जुर्माना किया जाएगा। यदि आपको इस बारे में किसी भी प्रकार की आशंका/सुझाव है तो आपको नगर निगम रोहतक के साथ संपर्क करें (सिंहखिड़ा में जरूर देंगे) व नगर निगम, रोहतक कार्यालय के फोन नं. 82959 00945 पर दर्ज करवाएं।

आयुक्त,
 नगर निगम, रोहतक

हरियाणा चहरी शिक्षा
 राज्य कॉम्प्लेक्स रोड-20
 नई दिल्ली-110002
 हरियाणा चहरी शिक्षा के माध्यम से हरियाणा के सभी जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों को नौकरियों के लिए तैयार करने का उद्देश्य है।
 1. शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों को नौकरियों के लिए तैयार करने का उद्देश्य है।
 2. शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों को नौकरियों के लिए तैयार करने का उद्देश्य है।

परिवहन चण्डीगढ़ सूचना
 परिवहन चण्डीगढ़ सूचना

राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय
 NATIONAL INSTITUTE OF YOUTH EDUCATION
 राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय
 राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय
 राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय


Kalpna Chawla Govt. Polytechnic for Women, Ambala City
 PHONE NO-0171-2557870
 Email-gpambala@polytechnic.in
SHORT TENDER NOTICE
 Special tenders on behalf of the Principal, Kalpna Chawla Govt. Polytechnic for Women, Ambala City are invited under two bid systems i.e. "Technical Bid" and "Financial Bid" have registered, reported and successfully sealed Proposals having valid ENIT No. issued by the competent authority for working under in the girls hostel of Kalpna Chawla Govt. Polytechnic for Women, Ambala City for one year. Short-listed Proposals have at least 3 years experience of working under in any Educational Institute.

हरियाणा लॉन्सि (भा.प्र.म.)
 केन्द्रीय नौकरियों के लिए
 हरियाणा लॉन्सि (भा.प्र.म.) केन्द्रीय नौकरियों के लिए

आयुक्त	नगर निगम, रोहतक
अध्यक्ष	नगर निगम, रोहतक
सहायक आयुक्त	नगर निगम, रोहतक
सहायक अध्यक्ष	नगर निगम, रोहतक



नगर निगम रोहतक



1000 Bhoom

आम सूचना

15-9-18

रोहतक नगर निगम के सभी निवासियों सम्बन्धित को इस कार्यालय द्वारा पूर्व दिनांक 9.11.2017 को विभिन्न समाचार पत्रों में जारी सूचना/अपील के संदर्भ में सूचित किया जात है कि आप सभी नगरियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य की देखभाल व पौलीथीन से होने वाले प्रदूषण के कारण के लिए भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा जारी निम्नलिखित नियम नगर निगम रोहतक में लागू हो चुके हैं। इनकी पालना करना सभी नगरियों, कार्यालयों, सरकारी व प्राइवेट संस्थानों के लिए अनिवार्य है:-

1. Solid Waste Management Rules 2016
2. Plastic Waste Management Rules 2016
3. Construction and Demolition Waste Management Rules 2016
4. Haryana Solid Waste Management Policy and strategy under SWM Rules 2016
5. Bulk Waste Generator Rules

इसके अतिरिक्त नगर निगम रोहतक द्वारा उपरोक्त नियमों की उल्लंघना करने पर जुर्माना किया जा रहा है तथा इस जुर्माना न भरने व इन नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ निम्नानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहाँ यह भी सूचित किया जाता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए कार्रवाई प्रारम्भ हो चुकी है।

1. नगर निगम रोहतक के अधीन क्षेत्र के घर-घर से कूड़ा उठाने वाले वाहन कूड़ा उठाते हैं। प्रत्येक घर व दुकानदार से अनुरोध है कि वे अपने-अपने घर व दुकान/संस्थान पर दो प्रकार के डस्टबीन (हरे व नीले रंग का) रखें। हरे रंग के डस्टबीन में गीला कूड़ा जैसे- फल, सब्जी व खाने की सामग्री का कूड़ा व नीले रंग के डस्टबीन में धूल, कांच प्लास्टिक आदि सूखा डालें। नगर निगम रोहतक की गाड़ियों में भी दो रंग के बैगिन हैं, हरा व नीला। गीला कूड़ा हरे रंग के बैगिन व सूखा कूड़ा नीला रंग के बैगिन में ही डालें। इस प्रकार न करने व जांच के दौरान अलग-अलग कूड़ा न रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा उसके बाद भी देवार ऐसा पाये जाने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाही के अतिरिक्त 100 रु प्रति उल्लंघना जुर्माने का प्रावधान है।
2. नगर निगम रोहतक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक की थैली (50 माईक्रोन से कम) व नियम के विरुद्ध बने प्लास्टिक के सामान का प्रयोग/विक्री नहीं कर सकता तथा न ही प्लास्टिक का कूड़ा सड़कों पर डाल सकता है, उस पर कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त निम्न प्रकार जुर्माना का प्रावधान है:-

1	100 ग्राम तक	500/- रुपये
2	101 से 500 ग्राम तक	1500/- रुपये
3	501 से 1 किलो तक	3000/- रुपये
4	1 किलो से 5 किलो तक	10000/- रुपये
5	5 किलो से 10 किलो तक	20000/- रुपये
6	10 किलो से ज्यादा	25000/- रुपये

3. रोहतक क्षेत्र में खुले में शौच करना/पेशाब करना निषेध है। खुले में शौच करने पर 200/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जाएगा।
4. सभी होटल, रेस्टोरेंट विवाह स्थलों, फैक्ट्री वाणिज्यिकी संस्थानों, दुकानों, मोबाईल टावर, हॉस्पिटल को नगर निगम रोहतक से Trade License लेना अनिवार्य है। Trade License न लेने की स्थितियों में नगर निगम संस्थान को सील कर सकता है तथा जुर्माना के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जायेगी।
5. नगर निगम क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने वाणिज्यिक व निवासस्थली भवन से निकला कचरा, मलबा सड़क पर नहीं डाल सकता। मलबा सड़क पर पाए जाने पर व नोटिस की 24 घण्टों में पालना न होने पर 2,000/- रुपये प्रतिदिन जुर्माना व कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
6. सभी डेयरी संचालक अपनी-अपनी डेयरी से निकलने वाले वेस्ट को यदि सड़कों या गलियों में डालेंगे तो उन पर भी 2,000/- रुपये प्रतिदिन जुर्माना व जुर्माना न भरने के स्थिति में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
7. नगर निगम क्षेत्र में चक्रे, शौचालयों व सभी सार्वजनिक स्थलों में कूड़ा फैलाना, प्लास्टिक की थैली का प्रयोग करना, फूल तोड़ना, सिगरेट पीना, नशा करना आदि निषेध है। इनकी उल्लंघन करने पर 100 रु जुर्माना व कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
8. नगर निगम क्षेत्र में निर्धारित स्थल के अलावा अन्य स्थानों पर होर्डिंग लगाना सख्त मना है। पोस्टर चिपकाने, अवैध होर्डिंग लगाने पर अधिकतम 10,000/- रुपये का जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी सरकारी व प्राइवेट भवन इसमें शामिल हैं।
9. सभी रेहड़ी संचालक अपनी रेहड़ियों के साथ डस्टबीन रखें तथा प्लास्टिक/पौलीथीन की थैली का प्रयोग न करें, जो भी दुकानदार व रेहड़ी संचालक बिना डस्टबीन के तथा नियम के विरुद्ध प्लास्टिक की थैली का प्रयोग करेंगे तथा अपनी दुकान या रेहड़ी के आस-पास कूड़ा सड़क या गली में डालेंगे, उस पर पहली बार तो 100 रु. जुर्माना व दूसरी बार जुर्माना के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
10. सार्वजनिक स्थलों, सड़कों व गलियों में खुले में पेशाब आदि करना निषेध है। कृपया सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करें।
11. सभी सैप्टिक टैंक साफ करने वाले अपना रजिस्ट्रेशन नगर निगम में एक सप्ताह में करवाए तथा सैप्टिक टैंक खाली करने व उसके निष्पादन का रिकार्ड बनाए। सैप्टिक टैंक STP पर ही खाली किए जाए, उन्हें खाली स्थानों पर खाली न किया जाए। उल्लंघना पर 500 रु. प्रति उल्लंघना जुर्माना किया जायेगा।
12. सभी होटल, विवाह स्थल अपने-अपने स्थलों पर छोटे-छोटे (Compost Plant) लगाना व सभी हास्पिटल अपने वेस्ट का भी नियमानुसार वेस्ट डिस्पोजल सुनिश्चित करें। उपरोक्त सभी की पालना न करने पर जुर्माना के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई नगर निगम रोहतक द्वारा की जाएगी। नगर निगम द्वारा संस्थान को सील भी किया जा सकता है। समस्त कार्रवाई का हर्जा-खर्चा ठोपी से वसूला जाएगा।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित को नगर निगम रोहतक में निर्धारित फीस जमा करवाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा:-

1. पोस्टर व होर्डिंग्स की प्रिन्टर्स
2. प्लास्टिक व पौलीथीन का कार्य करने वाले (50 Micron से ज्यादा)
3. नगर निगम रोहतक क्षेत्र के सभी कबाड़ का कार्य करने वाले
4. सभी सैप्टिक टैंक खाली करने वाले

Bulk Waste Generator द्वारा अपना Wet Waste Process करना होगा व करने पर बैकट हाल वालों को अपने ग्रीन वेस्ट व Wet Waste के लिए दो-दो पी बनवाने होंगे। उल्लंघना पर जुर्माना।

हस्ता/- आयुक्त
नगर निगम, रोहतक

से पोस्टल को पूर्वकी कभी अन्य प्रवेजों की दस्तावेजों की संवीकृतियों की www.mca.gov.in पर यदि कोई हेतु कोई आने वाले पत्र पाये में देव में सभी मूल आवेदन है। / हॉबी परचात विज्ञा सं अनुसार सचिव, आयोग, सचकुला ततक 19.2018 है :- हा की वे बोली की तिथि 2018 30 वसाइट : मूल हाई निविदा अर्थात् हेतु एक स्वीकार व हैं, पर दस्तावेज ही पालन रजिस्ट्रार

उपभोक्ताओं को मुहैया होगी।

था। दूरसंचार विभाग का कहना है कि इससे निजी क्षेत्र के लोगों को बड़े पैमाने पर काम मिलेगा और देश में इंटरनेट सुविधा का विस्तार होगा।

नगर निगम रोहतक

आम सूचना/अधिसूचना



नगर निगम रोहतक के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि आप के सहयोग से रोहतक स्वच्छता के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति के स्तर पर अग्रसर है। इसलिए 2 अक्टूबर 2018 को रोहतक को निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष कार्यों के लिए खुले में शौच मुक्त, रिहायशी क्षेत्र में कूड़ेदान रहित व गन्दगी के पुराने ढेरों से मुक्त घोषित किया जा रहा है।

- रोहतक को ODF + व ODF++ घोषित किया जा रहा है।
- रोहतक के रिहायशी क्षेत्रों को कूड़ेदान रहित किया जा चुका है।
- रोहतक में पहले विभिन्न स्थानों पर गन्दगी के ढेर एकत्रित होते थे, जिन्हें खत्म किया जा चुका है। रोहतक को GVP Free घोषित किया जा रहा है। इसलिए रोहतक के निवासियों से निम्नलिखित अनुरोध किया जाता है:-

- उनके द्वारा उत्पन्न किए गए अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक् शाखाओं अर्थात जैव निम्नीकरणयोग्य गैर निम्नजीकरणयोग्य और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के तीन अलग-अलग डिब्बों में भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निदेश या अधिसूचना के अनुसार पृथक् किए गए अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।
- अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक् रूप से भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय द्वारा निदेशानुसार इसका निपटान करेगा।
- कोई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलाएगा और न गाड़ेगा।
- कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा।
- प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसेकि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपों या पात्र या वाहन में डालेगा।
- इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर सभी होटल और रेस्टोरेंट स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक् करना, पृथक् किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रह करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोमिथानेशन के जरिए निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जाएगा।

रोहतक की सभी स्वयं सेवी संस्थाओं, समाजसेवी व्यक्तियों, प्रिन्ट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोगियों से अनुरोध है कि जो रोहतक को स्वच्छतम शहर बनाने, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अग्रतम स्थान दिलवाने में सहयोग देना चाहते हैं वे दिनांक 10.10.2018 तक नगर निगम रोहतक में अपना आवेदन देने की कृपा करें।

आयुक्त,

नगर निगम रोहतक।



पूर्वी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय, एन.ए.ए. रोहतक

नगर निगम रोहतक

आम सूचना/अधिसूचना

19/11/18

नगर निगम रोहतक के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि आप के सहयोग से रोहतक स्वच्छता के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति के स्तर पर अग्रसर है। इसलिए 2 अक्टूबर 2018 को रोहतक को निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष कार्यों के लिए खुले में शौच मुक्त, रिहायशी क्षेत्र में कूड़ेदान रहित व गन्दगी के पुराने ढेरों से मुक्त घोषित किया जा चुका है।

- i. रोहतक को ODF + व ODF++ घोषित किया जा चुका है।
 - ii. रोहतक के रिहायशी क्षेत्रों को कूड़ेदान रहित किया जा चुका है।
 - iii. रोहतक में पहले विभिन्न स्थानों पर गन्दगी के ढेर एकत्रित होते थे, जिन्हें खत्म किया जा चुका है। रोहतक को GVP Free घोषित किया जा चुका है। इसलिए रोहतक के निवासियों से निम्नलिखित अनुरोध किया जाता है:-
1. उनके द्वारा उत्पन्न किए गए अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात्-जैव निम्नीकरणयोग्य गैर निम्नजीकरणयोग्य और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के तीन अलग-अलग डिब्बों में भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निदेश या अधिसूचना के अनुसार पृथक किए गए अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।
 2. अपने परिसर से उत्पन्न कृषि-उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय द्वारा निदेशानुसार इसका निपटान करेगा।
 3. कोई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली या जलाशयों में न फेकेगा, न जलाएगा और न गाड़ेगा।
 4. कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथकरण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा।
 5. प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसेकि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपों या पात्र या वाहन में डालेगा।
 6. इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर सभी होटल और रेस्टोरेंट स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करना, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रह करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोमिथानेशन के जरिए निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जाएगा।

रोहतक की सभी स्वयं सेवी संस्थाओं, समाजसेवी व्यक्तियों, प्रिन्ट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोगियों से अनुरोध है कि जो रोहतक को स्वच्छतम शहर बनाने, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अग्रतम स्थान दिलवाने में सहयोग देना चाहते हैं वे दिनांक 25.10.2018 तक नगर निगम रोहतक में अपना आवेदन देने की कृपा करें।

हस्ता/- आयुक्त,
नगर निगम रोहतक।

रोहतक नगर निगम के सभी निवासियों / सम्बन्धित को इस कार्यालय द्वारा पूर्व में दिनांक 09.11.2017 को विभिन्न समाचार पत्रों में जारी सूचना/अपील के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आप सभी नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य की देखभाल व पोलिथीन से होने वाले प्रदूषण के लिए भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा जारी निम्नलिखित नियम नगर निगम रोहतक में लागू हो चुके हैं। इनकी पालना करना सभी नागरिकों, कार्यालयों, सरकारी व प्राइवेट संस्थान के लिए अनिवार्य है:-

1. Solid Waste Management Rules 2016
2. Plastic Waste Management Rules 2016
3. Construction and Demolition Waste Management Rules 2016
4. Haryana Solid Waste Management Policy and Strategy under SWM Rules 2016
5. Bulk Waste Generator Rules

इसके अतिरिक्त नगर निगम रोहतक द्वारा उपरोक्त नियमों की उल्लंघना करने पर जुर्माना किया जा रहा है तथा इस जुर्माना न भरने व इन नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ यह भी सूचित किया जाता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए कार्रवाई प्रारम्भ हो चुकी है।

1. नगर निगम रोहतक के अधीन क्षेत्र में घर-घर से कूड़ा उठाने वाले वाहन कूड़ा उठाते हैं। प्रत्येक घर व दुकानदार से अनुरोध है कि वे अपने- अपने घर व दुकान/संस्थान पर दो प्रकार के इस्टबिन (हरे व नीले रंग का) रखें। हरे रंग के इस्टबिन में गीला कूड़ा जैसे- फल, सब्जी व खाने की सामग्री का कूड़ा व नीले रंग के इस्टबिन में धूल, कांच प्लास्टिक आदि सूखा डालें। नगर निगम रोहतक की गाड़ियों में भी दो रंग के कैबिन हैं, हरा व नीला। गीला कूड़ा हरे रंग के कैबिन व सूखा कूड़ा नीला रंग के कैबिन में ही डालें। इस प्रकार न करने व जांच के दौरान अलग-अलग कूड़ा न रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा उसके बाद भी दोबारा ऐसा पाये जाने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के अतिरिक्त 100 रु० प्रति उल्लंघन जुर्माने का प्रावधान है।

2. नगर निगम रोहतक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक की थैली (50 माइक्रोन से कम) व नियम के विरुद्ध बने प्लास्टिक के सामान का प्रयोग/बिक्री नहीं कर सकता तथा ना ही प्लास्टिक का कूड़ा सड़को पर डाल सकता है, उस पर कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त निम्न प्रकार जुर्माना का प्रावधान है:-

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. 100 ग्राम तक | 500/- रूपये |
| 2. 101 से 500 ग्राम तक | 1500/- रूपये |
| 3. 501 ग्राम से 1 किलो तक | 3000/- रूपये |
| 4. 1 किलो से 5 किलो तक | 10000/- रूपये |
| 5. 5 किलो से 10 किलो तक | 20000/- रूपये |
| 6. 10 किलो से ज्यादा | 25000/- रूपये |

Penalty for ODF/Unwinds fine Rs. 200/-

3. रोहतक क्षेत्र में खुले में शौच करना/पेशाब करना निषेध है। खुले में शौच करने पर 200/- रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जाएगा।

4. सभी होटल, रेस्टॉरेंट विवाह स्थलों, फैक्ट्री वाणिज्यिक संस्थानों, दुकानों, मोबाइल टावर, हॉस्पिटल को नगर निगम रोहतक से Trade License लेना अनिवार्य है। Trade License न लेने की स्थितियों में नगर निगम संस्थान को सील कर सकता है तथा जुर्माना के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जायेगी।

5. नगर निगम क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने वाणिज्यिक व रिहायशी भवन से निकला कचरा, मलबा सड़क पर नहीं डाल सकता। मलबा सड़क पर पाए जाने पर व नोटिस की 24 घण्टें में पालना न होने पर 2000/- रूपये प्रतिदिन जुर्माना व कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

6. सभी डेयरी संचालक अपनी-अपनी डेयरी से निकलने वाले वेस्ट को यदि सड़को या गलियों में डालेंगे तो उन पर भी 2000/- रूपये प्रतिदिन जुर्माना व जुर्माना न भरने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

7. नगर निगम क्षेत्र में पार्को, शौचालयों व सभी सार्वजनिक स्थलों में कूड़ा फैलाने, प्लास्टिक की थैली का प्रयोग करना, फूल तोड़ना, सिगरेट पीना, नशा करना आदि निषेध हैं। इनकी उल्लंघन करने पर 100/- रूपये जुर्माना व कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

8. नगर निगम क्षेत्र में निर्धारित स्थल के अलावा अन्य स्थानों पर होर्डिंग लगाना सख्त मना है। पोस्टर चिपकाने, अवैध होर्डिंग लगाने पर अधिकतम 10000/- रूपये तक का जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी सरकारी व प्राइवेट भवन इसमें शामिल है।

9. सभी रेहड़ी संचालक अपनी रेहड़ियों के साथ इस्टबीन रखें तथा प्लास्टिक/पोलीथीन की थैली का प्रयोग न करें, जो भी दुकानदार व रेहड़ी संचालक बिना इस्टबीन के तथा नियम के विरुद्ध प्लास्टिक की थैली का प्रयोग करेगा तथा अपनी दुकान या रेहड़ी के आस-पास कूड़ा सड़क या गली में डालेगा, उस पर पहली बार तो 100/- रूपये जुर्माना व दूसरी बार जुर्माना के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

10. सार्वजनिक स्थलों सड़को व गलियों में खुले में पेशाब आदि करना निषेध है। कृपया सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करें।

11. सभी सैप्टिक टैंक साफ करने वाले अपना रजिस्ट्रेशन नगर निगम में एक सप्ताह में करवाए तथा सैप्टिक टैंक खाली करने व उसके निष्पादन का रिकार्ड बनाए। सैप्टिक टैंक STP पर ही खाली किए जाए, उन्हें खाली स्थानों पर खाली न किया जाए। उल्लंघना पर 500 रूपये प्रति उल्लंघना जुर्माना किया जायेगा।

12. सभी होटल, विवाह स्थल अपने-अपने स्थलों पर छोटे-छोटे (Compost Plant) लगाना व सभी हॉस्पिटल अपने वेस्ट का भी नियमानुसार वेस्ट डिस्पोजल सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सभी की पालना न करने पर जुर्माना के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई नगर निगम रोहतक द्वारा की जाएगी। नगर निगम द्वारा संस्थान को सील भी किया जा सकता है। समस्त कार्रवाई का हर्जा-खर्चा दोषी से बसूला जाएगा।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित को नगर निगम रोहतक में निर्धारित फीस जमा करवाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा:-

1. पोस्टर व होर्डिंग्स की प्रिन्टर्स
2. प्लास्टिक व पोलिथीन का कार्य करने वाले (50 Micron से ज्यादा)
3. नगर निगम रोहतक क्षेत्र के सभी कबाड़ का कार्य करने वाले
4. सभी सैप्टिक टैंक खाली करने वाले

Bulk Waste Generator द्वारा अपना Wet Waste Process करना होगा व करने पर बैंकट हाल वालों को अपने ग्रीन वेस्ट व Wet Waste के लिए दो-दो Pili बनवाने होंगे। उल्लंघना पर जुर्माना।

आयुक्त,
नगर निगम, रोहतक।

Municipal Corporation
ROHTAK

Sr. No.
of the Item

Jagwan

Damir

Notification for Disposal fine Rs. 500/-



नगर निगम रोहतक



आम सूचना

Hari Bhoori-15-9-18

रोहतक नगर निगम के सभी निवासियों/सम्बन्धित को इस कार्यालय द्वारा पूर्व दिनांक 9.11.2017 को विभिन्न समाचार पत्रों में जारी सूचना/अपील के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आप सभी नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य की देखभाल व पोलिथीन से होने वाले प्रदूषण के संरक्षण के लिए भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्मांलिखित नियम नगर निगम रोहतक में लागू हो चुके हैं। इनकी पालना करना सभी नागरिकों, कार्यालयों, सरकारी व प्राइवेट संस्थानों के लिए अनिवार्य है:-

1. Solid Waste Management Rules 2016
2. Plastic Waste Management Rules 2016
3. Construction and Demolition Waste Management Rules 2016
4. Haryana Solid Waste Management Policy and strategy under SWM Rules 2016
5. Bulk Waste Generator Rules

इसके अतिरिक्त नगर निगम रोहतक द्वारा उपरोक्त नियमों की उल्लंघना करने पर जुर्माना किया जा रहा है तथा इस जुर्माना न भरने व इन नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ यह भी सूचित किया जाता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए कार्रवाई प्रारम्भ हो चुकी है।

1. नगर निगम रोहतक के अधीन क्षेत्र के घर-घर से कूड़ा उठाने वाले वाहन कूड़ा उठाते हैं। प्रत्येक घर व दुकानदार से अनुरोध है कि वे अपने-अपने घर व दुकान/संस्थान पर दो प्रकार के डस्टबीन (हरे व नीले रंग का) रखें। हरे रंग के डस्टबीन में गीला कूड़ा जैसे- फल, सब्जी व खाने की सामग्री का कूड़ा व नीले रंग के डस्टबीन में धूल, काँच प्लास्टिक आदि सुखा डालें। नगर निगम रोहतक की गाड़ियों में भी दो रंग के कैबिन हैं, हरा व नीला। गीला कूड़ा हरे रंग के कैबिन व सुखा कूड़ा नीला रंग के कैबिन में ही डालें। इस प्रकार न करने व जांच के दौरान अलग-अलग कूड़ा न रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा उसके बाद भी दोबारा ऐसा पाये जाने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के अतिरिक्त 100 रु प्रति उल्लंघना जुर्माना का प्रावधान है।

2. नगर निगम रोहतक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक की थैली (50 माइक्रोन से कम) व नियम के विरुद्ध बने प्लास्टिक के सामान का प्रयोग/विक्री नहीं कर सकता तथा ना ही प्लास्टिक का कूड़ा सड़कों पर डाल सकता है, उस पर कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त निम्न प्रकार जुर्माना का प्रावधान है:-

1	100 ग्राम तक	500/- रुपये
2	101 से 500 ग्राम तक	1500/- रुपये
3	501 से 1 किलो तक	3000/- रुपये
4	1 किलो से 5 किलो तक	10000/- रुपये
5	5 किलो से 10 किलो तक	20000/- रुपये
6	10 किलो से ज्यादा	25000/- रुपये

3. रोहतक क्षेत्र में खुले में शौच करना/पेशाब करना निषेध है। खुले में शौच करने पर 200/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जाएगा।

4. सभी होटल, रेस्टोरेंट विवाह स्थलों, फैक्ट्री वाणिज्यिक संस्थानों, दुकानों, मोबाईल टावर, हॉस्पिटल को नगर निगम रोहतक से Trade License लेना अनिवार्य है। Trade License न लेने की स्थितियों में नगर निगम संस्थान को सील कर सकता है तथा जुर्माना के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जायेगी।

5. नगर निगम क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने वाणिज्यिक व रिहायशी भवन से निकला कचरा, मलबा सड़क पर नहीं डाल सकता। मलबा सड़क पर पाए जाने पर व नोटिस की 24 घण्टों में पालना न होने पर 2,000/- रुपये प्रतिदिन जुर्माना व कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

6. सभी डेयरी संचालक अपनी-अपनी डेयरी से निकलने वाले वेस्ट को यदि सड़कों या गलियों में डालेंगे तो उन पर भी 2,000/- रुपये प्रतिदिन जुर्माना व जुर्माना न भरने के स्थिति में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

7. नगर निगम क्षेत्र में पार्कों, शौचालयों व सभी सार्वजनिक स्थलों में कूड़ा फैलाना, प्लास्टिक की थैली का प्रयोग करना, फूल तोड़ना, सिगरेट पीना, नशा करना आदि निषेध है। इनकी उल्लंघन करने पर 100 रु जुर्माना व कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

8. नगर निगम क्षेत्र में निर्धारित स्थल के अलावा अन्य स्थानों पर होर्डिंग लगाना सख्त मना है। पोस्टर चिपकाने, अवैध होर्डिंग लगाने पर अधिकतम 10,000/- रुपये का जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी सरकारी व प्राइवेट भवन इसमें शामिल हैं।

9. सभी रेहड़ी संचालक अपनी रेहड़ियों के साथ डस्टबीन रखें तथा प्लास्टिक/पोलीथीन की थैली का प्रयोग न करें, जो भी दुकानदार व रेहड़ी संचालक बिना डस्टबीन के तथा नियम के विरुद्ध प्लास्टिक की थैली का प्रयोग करेगा तथा अपनी दुकान या रेहड़ी के आस-पास कूड़ा सड़क या गली में डालेगा, उस पर पहली बार तो 100 रु. जुर्माना व दूसरी बार जुर्माना के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

10. सार्वजनिक स्थलों, सड़कों व गलियों में खुले में पेशाब आदि करना निषेध है। कृपया सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करें।

11. सभी सैप्टिक टैंक साफ करने वाले अपना रजिस्ट्रेशन नगर निगम में एक सप्ताह में करवाए तथा सैप्टिक टैंक खाली करने व उसके निष्पादन का रिकार्ड बनाए। सैप्टिक टैंक SIP पर ही खाली किए जाए, उन्हें खाली स्थानों पर खाली न किया जाए। उल्लंघना पर 500 रु. प्रति उल्लंघना जुर्माना किया जायेगा।

12. सभी होटल, विवाह स्थल अपने-अपने स्थलों पर छोटे-छोटे (Compost Plant) लगाना व सभी हॉस्पिटल अपने वेस्ट का भी नियमानुसार वेस्ट डिस्पोजल सुनिश्चित करें। उपरोक्त सभी की पालना न करने पर जुर्माना के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई नगर निगम रोहतक द्वारा की जाएगी। नगर निगम द्वारा संस्थान को सील भी किया जा सकता है। समस्त कार्रवाई का हर्जा-खर्चा दोषी से वसूला जाएगा।

इसके अतिरिक्त निर्मांलिखित को नगर निगम रोहतक में निर्धारित फीस जमा करवाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा:-

1. पोस्टर व होर्डिंग्स की प्रिन्टर्स
2. प्लास्टिक व पोलिथीन का कार्य करने वाले (50 Micron से ज्यादा)
3. नगर निगम रोहतक क्षेत्र के सभी कबाड़ का कार्य करने वाले
4. सभी सैप्टिक टैंक खाली करने वाले

Bulk Waste Generator द्वारा अपना Wet Waste Process करना होगा व करने पर बैकट हाल वालों को अपने ग्रीन वेस्ट व Wet Waste के लिए दो-दो फीस बनवाने होंगे। उल्लंघना पर जुर्माना।

हस्ता/- आयुक्त
नगर निगम, रोहतक

27/08/18

Name of Members Present

नगर निगम, रोहतक द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों से अपील की गई जिसकी प्रति साथ संलग्न है।

उपभोक्ताओं को मुहैया होगी।

इससे निजी क्षेत्र के लोगों को बड़े पैमाने पर काम मिलेगा और देश में इंटरनेट सुविधा का विस्तार होगा।

नगर निगम रोहतक

आम सूचना/अधिसूचना

नगर निगम रोहतक सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि आप के सहयोग से रोहतक स्वच्छता के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति के लिए काम किया जा रहा है। इसलिए 27 अक्टूबर 2018 को रोहतक को निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष कार्यों के लिए खुले में शौच मुक्त, रहित क्षेत्रों को कूड़ेदान रहित करने के उद्देश्य से प्रकृत घोषित किया जा रहा है।

- रोहतक को ODF + V ODF++ घोषित किया जा रहा है।
- रोहतक के रिहायशी क्षेत्रों को कूड़ेदान रहित किया जा चुका है।
- रोहतक में पहले विभिन्न स्थानों पर गन्दगी के ढेर एकत्रित होते थे, जिन्हें खत्म किया जा चुका है। रोहतक को GVP Free घोषित किया जा रहा है। इसलिए रोहतक के निवासियों से निम्नलिखित अनुरोध किया जाता है:-
 - उनके द्वारा उत्पन्न किए गए अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात जैव निम्नीकरणयोग्य गैर निम्नजीकरणयोग्य और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के तीन अलग-अलग डिब्बों में भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निदेश या अधिसूचना के अनुसार पृथक किए गए अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।
 - अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय द्वारा निदेशानुसार इसका निपटान करेगा।
 - कोई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलाएगा और न गाड़ेगा।
 - कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथकरण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा।
 - प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसेकि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपों या पात्र या वाहन में डालेगा।
 - इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर सभी होटल और रेस्टोरेंट स्थानीय प्राधिकरण को प्राथमिकी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करना, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रह करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वाले अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोमिथानेशन के जरिए निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जाएगा।

रोहतक की सभी स्वयं सेवी संस्थाओं, समाजसेवी व्यक्तियों, प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोगियों से अनुरोध है कि जो रोहतक को स्वच्छतम शहर बनाने, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अग्रतम स्थान दिलवाने में सहयोग देना चाहते हैं वे दिनांक 0.10.2018 तक नगर निगम रोहतक में अपना आवेदन देने की कृपा करें।

आयुक्त,
नगर निगम रोहतक।



नगर निगम रोहतक

Proceeding of the Meeting held on

Name of Members Present

ODF++ Notification 19/11/18

नगर निगम रोहतक

आम सूचना/अधिसूचना

नगर निगम रोहतक के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि आप के सहयोग से रोहतक स्वच्छता के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति के स्तर पर अग्रसर है। इसलिए 25 अक्टूबर 2018 को रोहतक को निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष कार्यों के लिए खुले में शौच मुक्त, रिहायशी क्षेत्र में कूड़ेदान रहित व गन्दगी के मुक्त क्षेत्रों से मुक्त घोषित किया जा चुका है।

- i. रोहतक को ODF + व ODF++ घोषित किया जा चुका है।
- ii. रोहतक के रिहायशी क्षेत्रों को कूड़ेदान रहित किया जा चुका है।
- iii. रोहतक में पहले विभिन्न स्थानों पर गन्दगी के ढेर एकत्रित होते थे, जिन्हें हटाया जा चुका है। रोहतक को GVP Free घोषित किया जा चुका है। इसलिए रोहतक के निवासियों से निम्नलिखित अनुरोध किया जाता है:-
 1. उनके द्वारा उत्पन्न किए गए अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात् जैव निम्नीकरणयोग्य गैर निम्नीकरणयोग्य और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के तीन अलग-अलग डिब्बों में भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निदेश या अधिसूचना के अनुसार पृथक किए गए अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।
 2. अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय द्वारा निदेशानुसार इसका निपटान करेगा।
 3. कोई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलाएगा और न गाड़ेगा।
 4. कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा।
 5. प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसेकि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कर्तों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपों या पात्र या वाहन में डालेगा।
 6. इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर सभी होटल और रेस्टोरेंट स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करना, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रह करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां तक संभव होमा परिसर के अंदर संचालित उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोमिथानेशन के जरिए निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जाएगा।

रोहतक की सभी स्वयं सेवी संस्थाओं, समाजसेवी व्यक्तियों, प्रिन्ट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोगियों से अनुरोध है कि वे रोहतक को स्वच्छतम शहर बनाने, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अग्रतम स्थान दिलवाने में सहयोग देना चाहते हैं वे दिनांक 25.10.2018 तक नगर निगम रोहतक में अपना आवेदन देने की कृपा करें।

हस्ता/- आयुक्त,
नगर निगम रोहतक।

Asstt. Town Planner
Municipal Corporation,

5-8-19

अपील

Jagran

नगर निगम रोहतक के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि आप के सहयोग से रोहतक स्वच्छता के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति के स्तर पर अग्रसर है। नगर निगम रोहतक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र को स्वच्छ व स्वस्थ बनाए रखने के लिए घर-घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। गन्दगी के ढेरों को समाप्त किया गया। जिन स्थानों पर लोग खुले में शौच किया करते थे, शौच मुक्त करवाया। भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा भी सभी प्रकार के कचरे के निष्पादन के लिए नियम बनाए जा चुके हैं तथा उनकी अवहेलना पर जुर्माना भी लगाया है।


क्रम संख्या	सोधिए	कार्रवाई
1	घर में गीला/सूखा कूड़ा इकट्ठा रखकर उसे सड़क पर फेंकते हैं तो उसे गाय/कुत्ते/सूअर/पशु खाते हैं। गन्दगी पर मक्खियां बैठती हैं। जिस कारण पशुओं में बिमारियां फैलती हैं। हमारे परिवारों में बिमारियां फैलती हैं। हमारे आस-पास का वातावरण प्रदूषित होता है- क्या हमें यह स्वीकार है ?	घरों/दुकानों/संस्थानों में गीले व सूखे कूड़े के लिए हरे व नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करें। गीला-सूखा कूड़ा कचरा उठाने वाली गाड़ियों में अलग-अलग डालें। Solid Waste Management Rules में 2016 के तहत इसकी उल्लंघना पर जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।
2.	हम प्रतिबन्धित प्लास्टिक/पोलीथीन की थैली/प्लास्टिक डिस्पोजल का प्रयोग बड़े शान से करते हैं। आपको मालूम है कि यह प्लास्टिक/पोलीथीन नष्ट नहीं होते। इन पोलीथीन को पशु खाकर बीमार होते हैं। यह पोलीथीन जमीन में दबने के पश्चात उसकी उर्वरकता को नष्ट कर देता है। यह प्लास्टिक/पोलीथीन का प्रयोग हमें कई बीमारियों को प्रदान करता है- क्या हम प्रतिबन्धित प्लास्टिक/पोलीथीन का प्रयोग कर अपने आपको व अपने परिवार को बीमारियों का उपहार देना चाहते हैं ?	Plastic Waste Management Rules 2016 के तहत हर प्लास्टिक का सामान बेचने वाले को नगर निगम रोहतक में निर्धारित फीस जमा कर रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। रेहड़ी/दुकान वाले व्यक्ति जो प्रतिबन्धित प्लास्टिक पोलीथीन के सामान का प्रयोग करेंगे, उन्हें बेचने पर-खरीदने पर/सड़क नाली आदि में डालने पर जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।
3.	हम अपने घरों को सुन्दर बनाने के लिए उसमें तोड़-फोड़ कर मलबा भवन निर्माण के पश्चात बची हुई निर्माण सामग्री सड़क/गली/नाली के ऊपर डाल देते हैं। इस कारण नाली/नाले जाम हो जाते हैं। सड़क पर ट्रेफिक जाम हो जाता है मलबे पर लोग कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं-क्या हम अपने शहर की सुन्दरता पर ग्रहण नहीं लगा रहे ?	C & D Waste Management Rules 2016 के तहत सड़कों/गलियों/नालों/नालियों पर खुले में मलबा डालने पर दोषी के खिलाफ जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।
4.	शहर में स्थित नर्सिंग होम/क्लीनिक को अपने संस्थानों से निकलने वाले Bio-Medical Waste का नियमों के अनुसार निष्पादन करना होता है। परन्तु कुछ नर्सिंग होम थोड़े से अपने निजी लाभ के लिए Bio-Medical Waste को सड़क पर रखे कूड़ेदान में डाल देते हैं। यह Bio-Medical Waste कचरा प्लांट पर जाकर कई प्रकार से नुकसान करता है।	Bio-Medical Waste Management Rules 2016 के तहत प्रत्येक नर्सिंग होम/अस्पताल/क्लीनिक को Bio-Medical Waste Collector के पास रजिस्ट्रेशन करवाना, उसका प्रमाण पत्र लेना व उसका डिस्पले आवश्यक है। यदि Bio-Medical Waste को सड़क पर रखे कूड़ेदान/सड़क पर/खुले में डाला गया तो दोषी के खिलाफ जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।
5.	सभी प्रकार के कम्प्यूटर/मोबाईल/इलेक्ट्रॉनिक सामान को कचरे में न डालें, इसका Recycle हो जाता है।	E-Waste Management Rules 2016 की अवहेलना पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।
6.	खुले में शौच/खुले में पेशाब करना/शौचालयों में गन्दगी फैलाना/खुले में कचरा डालना दण्डनीय अपराध है।	खुले में शौच करने/खुले में पेशाब करने/खुले में गन्दगी डालना दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए आप पर जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।

स्वच्छता से सम्बन्धित अपनी शिकायत के लिए Swachhata-MoHUA App (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichangemycity.swachhbharat>) को अपने फोन में अवश्य डाउनलोड कर दर्ज करें व स्वच्छता में अपनी भागीदारी को बढ़ायें। इसके अतिरिक्त नगर निगम, रोहतक कार्यालय के टोल फ्री नं० 18001805007 व मोबाईल नं० 9416487015, 8295900940 व 8295900941 पर शिकायत कर सकते हैं।

आवृत्त,
नगर निगम, रोहतक।



नगर निगम रोहतक



5619

अपील

Hemishomi

नगर निगम रोहतक के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि आप के सहयोग से रोहतक स्वच्छता के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति के स्तर पर अग्रसर है। नगर निगम रोहतक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र को स्वच्छ व स्वस्थ बनाए रखने के लिए घर-घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। गन्दगी के ठेरों को समाप्त किया गया। जिन स्थानों पर लॉग खुलें में शौच किया करते थे, शौच मुक्त करवाया। भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा भी सभी प्रकार के कचरे के निष्पादन के लिए नियम बनाए जा चुके हैं तथा उनकी अवहेलना पर जुर्माना भी लगाया है।


क्रम संख्या	साँचिए	कार्रवाई
1	घर में गीला/सूखा कूड़ा इकट्ठा रखकर उसे सड़क पर फेंकते हैं तो उसे गाय/कुत्तों/सुअर/पशु खाते हैं। गन्दगी पर मक्खियां बैठती हैं। जिस कारण पशुओं में विमारियां फैलती हैं। हमारे परिवारों में विमारियां फैलती हैं। हमारे आस-पास का वातावरण प्रदूषित होता है- क्या हमें यह स्वीकार है ?	घरों/दुकानों/संस्थानों में गीले व सूखे कूड़े के लिए हरे व नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करें। गीला--सूखा कूड़ा कचरा उठाने वाली गाड़ियों में अलग-अलग डालें। Solid Waste Management Rules 2016 के तहत इसकी उल्लंघना पर जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।
2	हम प्रतिबन्धित प्लास्टिक/पोलीथीन की थैली/प्लास्टिक डिस्पोजल का प्रयोग बड़े शान से करते हैं। आपको मालूम है कि यह प्लास्टिक/पोलीथीन नष्ट नहीं होते। इन पोलीथीन को पशु खाकर बीमार होते हैं। यह पोलीथीन जमीन में दबने के पश्चात उसको उर्वरकता को नष्ट कर देता है। यह प्लास्टिक/पोलीथीन का प्रयोग हमें कई बीमारियों को प्रदान करता है- क्या हम प्रतिबन्धित प्लास्टिक/पोलीथीन का प्रयोग कर अपने आपको व अपने परिवार को बीमारियों का उपहार देना चाहते हैं ?	Plastic Waste Management Rules 2016 के तहत हर प्लास्टिक का सामान बेचने वाले को नगर निगम रोहतक में निर्धारित फीस जमा कर रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। रेहड़ी/दुकान वाले व्यक्ति जो प्रतिबन्धित प्लास्टिक पोलीथीन के सामान का प्रयोग करेंगे, उन्हें बेचने पर-खरीदने पर/सड़क नाली आदि में डालने पर जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।
3	हम अपने घरों को सुन्दर बनाने के लिए उसमें तोड़-फोड़ कर मलबा भवन निर्माण के पश्चात बची हुई निर्माण सामग्री सड़क/गली/नाली के ऊपर डाल देते हैं। इस कारण नाली/नाली जाम हो जाते हैं। सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है मलबे पर लॉग कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं-क्या हम अपने शहर को सुन्दरता पर ग्रहण नहीं लगा रहे ?	C & D Waste Management Rules 2016 के तहत सड़कों/गलियों/नालों/नालियों पर/खुले में मलबा डालने पर दोषी के खिलाफ जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।
4	शहर में स्थित नर्सिंग होम/क्लीनिक को अपने संस्थानों से निकलने वाले Bio-Medical Waste का नियमों के अनुसार निष्पादन करना होता है। परन्तु कुछ नर्सिंग होम थोड़े से अपने निजी लाभ के लिए Bio-Medical Waste को सड़क पर रखे कूड़ेदान में डाल देते हैं। यह Bio-Medical Waste कचरा प्लांट पर जाकर कई प्रकार से नुकसान करता है।	Bio-Medical Waste Management Rules 2016 के तहत प्रत्येक नर्सिंग होम/अस्पताल/क्लीनिक को Bio-Medical Waste Collector के पास रजिस्ट्रेशन करवाना, उसका प्रमाण पत्र लेना व उसका डिस्पले आवश्यक है। यदि Bio-Medical Waste को सड़क पर रखे कूड़ेदान/सड़क पर/खुले में डाला गया तो दोषी के खिलाफ जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।
5	सभी प्रकार के कम्प्यूटर/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक सामान को कचरे में न डालें, इसका Recycle हो जाना है।	E-Waste Management Rules 2016 की अवहेलना पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।
6	खुले में शौच/खुले में पेशाब करना शौचालयों में गन्दगी फैलाना/खुले में कचरा डालना दण्डनीय अपराध है।	खुले में शौच करने/खुले में पेशाब करने खुले में गन्दगी डालना दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए आप पर जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।

स्वच्छता व स्वस्थता के लिए Swachhata-MoHUA App (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichangernycity.swachhpharat>) को अपने फोन में अवश्य डाउनलोड कर दर्ज करें व स्वच्छता में अपनी भागीदारी को बढ़ायें। इसके अतिरिक्त नगर निगम, रोहतक कार्यालय के टोल फ्री नं० 18001805007 व मोबाइल नं० 9416487015, 8295900940 व 8295900941 पर संपर्कित कर सकते हैं।

आयुक्त,



नगर निगम रोहतक



5-6-19

अपील

Umar Vjale

नगर निगम रोहतक के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि आप के सहयोग से रोहतक स्वच्छता के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति के स्तर पर अग्रसर है। नगर निगम रोहतक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र को स्वच्छ व स्वस्थ बनाए रखने के लिए घर-घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। गन्दगी के ढेरों को समाप्त किया गया। जिन स्थानों पर लोग खुलें में शौच किया करते थे, शौच मुक्त करवाया। भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा भी सभी प्रकार के कचरे के निष्पादन के लिए नियम बनाए जा चुके हैं तथा उनकी अवहेलना पर जुर्माना भी लगाया है।

क्रम संख्या	सोचिए	कार्रवाई
1	घर में गीला/सूखा कूड़ा इकट्ठा रखकर उसे सड़क पर फेंकते हैं तो उसे गाय/कुत्तों/सूअर/पशु खाते हैं। गन्दगी पर मक्खियां बैठती हैं। जिस कारण पशुओं में बिमारियां फैलती हैं। हमारे परिवारों में बिमारियां फैलती हैं। हमारे आस-पास का वातावरण प्रदूषित होता है- क्या हमें यह स्वीकार है ?	घरों/दुकानों/संस्थानों में गीले व सूखे कूड़े के लिए हरे व नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करें। गीला-सूखा कूड़ा कचरा उठाने वाली गाड़ियों में अलग-अलग डालें। Solid Waste Management Rules 2016 के तहत इसकी उल्लंघना पर जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।
2	हम प्रतिबन्धित प्लास्टिक/पोलीथीन की थैली/प्लास्टिक डिस्पोजल का प्रयोग बड़े शान से करते हैं। आपको मालूम है कि यह प्लास्टिक/पोलीथीन नष्ट नहीं होते। इन पोलीथीन को पशु खाकर बीमार होते हैं। यह पोलीथीन जमीन में दबने के पश्चात उसकी उर्वरकता को नष्ट कर देता है। यह प्लास्टिक/पोलीथीन का प्रयोग हमें कई बीमारियों को प्रदान करता है- क्या हम प्रतिबन्धित प्लास्टिक/पोलीथीन का प्रयोग कर अपने आपको व अपने परिवार को बीमारियों का उपहार देना चाहते हैं ?	Plastic Waste Management Rules 2016 के तहत हर प्लास्टिक का सामान बेचने वाले को नगर निगम रोहतक में निर्धारित फीस जमा कर रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। रेहड़ी/दुकान वाले व्यक्ति जो प्रतिबन्धित प्लास्टिक पोलीथीन के सामान का प्रयोग करेंगे, उन्हें बेचने पर-खरीदने पर/सड़क नाली आदि में डालने पर जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।
3	हम अपने घरों को सुन्दर बनाने के लिए उसमें तोड़-फोड़ कर मलबा भवन निर्माण के पश्चात बची हुई निर्माण सामग्री सड़क/गली/नाली के ऊपर डाल देते हैं। इस कारण नाली/नाले जाम हो जाते हैं। सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है मलबे पर लोग कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं-क्या हम अपने शहर की सुन्दरता पर ग्रहण नहीं लगा रहे ?	C & D Waste Management Rules 2016 के तहत सड़कों/गलियों/नालों/नालियों पर/खुले में मलबा डालने पर दोषी के खिलाफ जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।
4	शहर में स्थित नर्सिंग होम/क्लीनिक को अपने संस्थानों से निकलने वाले Bio-Medical Waste का नियमों के अनुसार निष्पादन करना होता है। परन्तु कुछ नर्सिंग होम थोड़े से अपने निजी लाभ के लिए Bio-Medical Waste को सड़क पर रखे कूड़ेदान में डाल देते हैं। यह Bio-Medical Waste कचरा प्लांट पर जाकर कई प्रकार से नुकसान करता है।	Bio-Medical Waste Management Rules 2016 के तहत प्रत्येक नर्सिंग होम/अस्पताल/क्लीनिक को Bio-Medical Waste Collector के पास रजिस्ट्रेशन करवाना, उसका प्रमाण पत्र लेना व उसका डिस्पले आवश्यक है। यदि Bio-Medical Waste को सड़क पर रखे कूड़ेदान/सड़क पर/खुले में डाला गया तो दोषी के खिलाफ जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।
5	सभी प्रकार के कम्प्यूटर/मोबाईल/इलेक्ट्रॉनिक सामान को कचरे में न डालें, इसका Recycle हो जाता है।	E-Waste Management Rules 2016 की अवहेलना पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।
6	खुले में शौच/खुले में पेशाब करना/शौचालयों में गन्दगी फैलाना/खुले में कचरा डालना दण्डनीय अपराध है।	खुले में शौच करने/खुले में पेशाब करने/खुले में गन्दगी डालना दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए आप पर जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना न भरने पर ब्याज राशि के साथ समस्त हर्जा-खर्चा वसूला जायेगा।

स्वच्छता से सम्बन्धित अपनी शिकायत के लिए Swachhata-MoHUA App (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichangemycity.swachhbharat>) को अपने फोन में अवश्य डाउनलोड कर दर्ज करें व स्वच्छता में अपनी भागीदारी को बढ़ायें। इसके अतिरिक्त नगर निगम, रोहतक कार्यालय के टोल फ्री नं० 18001805007 व मोबाईल नं० 9416487015, 8295900940 व 8295900941 पर शिकायत कर सकते हैं।

आयुक्त,
नगर निगम रोहतक।



कार्यालय नगर निगम, रोहतक



2019-20

सार्वजनिक सूचना

Umar Vjulk

नगर निगम, रोहतक के सीवेज के अवैध निपटान को निमंत्रित करने व सीवेज टैंकों के सप्लायरों के पंजीकरण करने व नजदीक के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर उसके डिस्पोजल के लिए यह सूचना जारी करते हुए सूचित करता है कि टैंकों के इच्छुक सप्लायर 30.06.2019 से पूर्व नगर निगम, रोहतक के साथ स्वयं को पंजीकृत करें अन्यथा उक्त कथित आदेशों में परिभाषित अनुसार वांछित कार्रवाई टैंकर स्वामियों के विरुद्ध की जाएगी, जिसमें आगामी पता लगने पर 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्रथम पाए जाने पर रुपये 5000/- प्रति टैंकर तक जुर्माना लगाया जाएगा अथवा 6 माह की सजा अथवा दोनों दोषी टैंकर स्वामियों पर लगाया जाएगा। आदेश www.mcrohtak.gov.in पर ऑनलाईन देखे जा सकते हैं। आदेशों की प्रति कार्यालय मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक से प्राप्त भी की जा सकती है। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण मुख्य सफाई निरीक्षक को मोबाइल नं. संख्या 9416487015 पर दूरभाष पर सम्पर्क करके प्राप्त किया जा सकता है।

आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।



MUNICIPAL CORPORATION, ROHTAK



0 mar 2019

PUBLIC NOTICE

5-6-19

Municipal corporation, Rohtak intends to regulate illegal disposal of sewage within Municipal Corporation limit by registering the tankers suppliers for safe disposal of sewage to nearest Sewerage Treatment Plant to curb the menace of illegal disposal of which is in violation of the orders of the Hon'ble NGT and provisions of Haryana Municipal Corporation, Act. 1994. Procedure of registration and Enforcement of the same has been defined in the orders issued by the Commissioner, MCR vide order Endst. MCR/CSI/ 3350-51 dated 16-06-2019. Interested suppliers of tankers shall get themselves registered with MCR before 30-06-2019 else requisite action as defined in the aforesaid orders shall be taken against the tankers owners in which fine up to Rs. 5000/- per tanker at the first detection with 20% hike on subsequent detections or 6 month imprisonment or both shall be imposed upon the defaulter tanker owner. The orders can referred online at www.mcrohtak.gov.in . The copy of the orders can also be obtained from the office of Chief Sanitary Inspector, MCR. Any clarification in this regard may be obtained telephonically from Chief Sanitary Inspector Mobile no. 9416487015.

**Commissioner,
Municipal Corporation, Rohtak**



Jagan

PUBLIC NOTICE

5-6-19

Municipal corporation, Rohtak intends to regulate illegal disposal of sewage within Municipal Corporation limit by registering the tankers suppliers for safe disposal of sewage to nearest Sewerage Treatment Plant to curb the menace of illegal disposal of which is in violation of the orders of the Hon'ble NGT and provisions of Haryana Municipal Corporation, Act. 1994. Procedure of registration and Enforcement of the same has been defined in the orders issued by the Commissioner, MCR vide order Endst. MCR/CSI/ 3350-51 dated 16-06-2019. Interested suppliers of tankers shall get themselves registered with MCR before 30-06-2019 else requisite action as defined in the aforesaid orders shall be taken against the tankers owners in which fine up to Rs. 5000/- per tanker at the first detection with 20% hike on subsequent detections or 6 month imprisonment or both shall be imposed upon the defaulter tanker owner. The orders can referred online at www.mcrohtak.gov.in . The copy of the orders can also be obtained from the office of Chief Sanitary Inspector, MCR. Any clarification in this regard may be obtained telephonically from Chief Sanitary Inspector Mobile no. 9416487015.

**Commissioner,
Municipal Corporation, Rohtak**



कार्यालय नगर निगम, रोहतक



Jagran

सार्वजनिक सूचना

57679

नगर निगम, रोहतक के सीवेज के अवैध निपटान को निमंत्रित करने व सीवरेज टैंकों के सप्लायरों के पंजीकरण करने व नजदीक के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर उसके डिस्पोजल के लिए यह सूचना जारी करते हुए सूचित करता है कि टैंकों के इच्छुक सप्लायर 30.06.2019 से पूर्व नगर निगम, रोहतक के साथ स्वयं को पंजीकृत करें अन्यथा उक्त कथित आदेशों में परिभाषित अनुसार वांछित कार्रवाई टैंकर स्वामियों के विरुद्ध की जाएगी, जिसमें आगामी पता लगने पर 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्रथम पाए जाने पर रुपये 5000/- प्रति टैंकर तक जुर्माना लगाया जाएगा अथवा 6 माह की सजा अथवा दोनों दोषी टैंकर स्वामियों पर लगाया जाएगा। आदेश www.mcrohtak.gov.in पर ऑनलाईन देखे जा सकते हैं। आदेशों की प्रति कार्यालय मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक से प्राप्त भी की जा सकती है। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण मुख्य सफाई निरीक्षक को मोबाइल नं. संख्या 9416487015 पर दूरभाष पर सम्पर्क करके प्राप्त किया जा सकता है।

आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम, रोहतक



Hunish...

सार्वजनिक सूचना

5-6-19

नगर निगम, रोहतक के सीवेज के अवैध निपटान को निम्नित करने व सीवेज टैंकरों के सप्लायरों के पंजीकरण करने व नजदीक के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर उसके डिस्पोजल के लिए यह सूचना जारी करते हुए सूचित करता है कि टैंकरों के इच्छुक सप्लायर 30.06.2019 से पूर्व नगर निगम, रोहतक के साथ स्वयं को पंजीकृत करें अन्यथा उक्त कथित आदेशों में परिभाषित अनुसार वांछित कार्रवाई टैंकर स्वामियों के विरुद्ध की जायेगी, जिसमें आगामी पता लगने पर 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्रथम पाए जाने पर रूपये 5000/- प्रति टैंकर तक जुर्माना लगाया जाएगा अथवा 6 माह की सजा अथवा दोनों दोषी टैंकर स्वामियों पर लगाया जाएगा। आदेश www.mcrohtak.gov.in पर ऑनलाईन देखे जा सकते हैं। आदेशों की प्रति कार्यालय मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक से प्राप्त भी की जा सकती है। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण मुख्य सफाई निरीक्षक को मोबाईल नं. संख्या 9416487015 पर दूरभाष पर सम्पर्क करके प्राप्त किया जा सकता है।

हस्ता/- आयुक्त, नगर निगम, रोहतक



MUNICIPAL CORPORATION, ROHTAK



PUBLIC NOTICE

Municipal Corporation, Rohtak intends to regulate illegal disposal of sewage within Municipal Corporation limit by registering the tankers suppliers for safe disposal sewage to nearest Sewerage Treatment Plant to curb the meance of illegal disposal of which is in violation of the orders of the Hon'ble NGT and provisions of Haryana Municipal Corporation, Act, 1994. Procedure of registration and Enforcement of the same has been defined in the orders issued by the Commissioner MCR vide order Endst. MCR/CSI/3350-51 dated 16.06.2019. Interested suppliers of tankers shall get themselves registered with MCR before 30.06.2019 else requiste action as defined in the aforesaid orders shall be taken against the tankers owners in which fine up to 6 month imprisonment or both shall be imposed upon the deefaulter tanker owner. The orders can referred online at www.mcrohtk.gov.in. The copy of the orders can also be obtained from the office of Chief Sanitary Inspector, MCR. Any clarification in the regard my be obtained telephonically from Chief Sanitary Inspector Mobile No. 9416487015.

Sd/- Commissioner
Municipal Corporation, Rohtak